भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1028

13.02.2025 को उत्तर के लिए

देश में गैंडा संरक्षण कार्यक्रम

1028. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में गैंडों के संरक्षण के लिए कोई कानून है अथवा कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के राष्ट्रीय उद्यानों में गैंडों के प्रजनन में वृद्धि करने के लिए कोई प्रक्रिया कार्यान्वित की है; और

(ग) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या सावधानियां बरती गई हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत भारत में पाए जाने वाले भारतीय गैंडे/एक सींग वाले बड़े गैंडे (राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस) सहित अन्य वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन का प्रावधान किए गए हैं। देश में प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भारतीय गैंडे/एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत उन्हें उच्चतम दर्जे की सुरक्षा प्रदान की गई है।

ii. देश में गैंडे सहित अन्य वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं।

iii. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डबल्यूसीसीबी) वन्य पशुओं के शिकार तथा पशुओं के शरीरांगों से निर्मित वस्तुओं के अवैध व्यापार के विषय में गुप्त सूचना संग्रहीत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। डबल्यूसीसीबी वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक और पेशेवर जांच के लिए क्षमता निर्माण भी करता है।

iv. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुसार, मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रों और अन्य भूदृश्य तत्वों के लिए प्रबंधन योजना की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

v. केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' एवं 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

vi. भारतीय एक सींग वाले गैंडे को 22 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है, ताकि केंद्र प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' के अंतर्गत प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

vii. असम राज्य सरकार ने विशेष गैंडा संरक्षण बल और असम वन संरक्षण बल जैसे विशेष बलों की स्थापना की है, जो गैंडों के पर्यावासों की निगरानी करने और अवैध शिकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित हैं।

(ग) असम राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, काजीरंगा में वार्षिक बाढ़ के दौरान जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. उच्च जल स्तर के दौरान पशुओं को शरण देने के लिए कृत्रिम ऊंचे क्षेत्रों का निर्माण;

ii. वास्तविक समय की निगरानी के लिए थर्मल ड्रोन और विद्युत संवेदक कैमरों का उपयोग;

iii. बाढ़ के दौरान पशुओं के सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में सुविधा के लिए वन्यजीव गलियारों की अधिसूचना और उद्यान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गति सीमा लागू करना।
